देहरादून में भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों के सम्मेलन के समापन सत्र में विदाई भाषण

19 दिसम्बर 2019

भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन के समापन सत्र में आप सबको संबोधित करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है।

मैं आप सभी का पीठासीन अधिकारियों और सचिवों के 79वें सम्मेलन के समापन के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

सम्मेलन में हुई चर्चा में प्रतिनिधियों के उत्साह, सक्रिय भागीदारी और सहभागिता को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं इस सम्मेलन को सफल इसलिए मानता हूँ क्योंकि इस मंच पर हुए विचार-विमर्श से हमें उन मुद्दों के बारे में नई दिशा मिली है, जिन पर चर्चा की गई।

मुझे विश्वास है कि यहाँ हुए गहन एवं रचनात्मक विचार-विमर्श से हमें अपने लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सामना करने, संसदीय और विधायी काम-काज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण विषय था ' शून्य काल सहित सभा में उपलब्ध साधनों के माध्यम से संसदीय लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाना और क्षमता निर्माण'।

इस विषय पर देश भर के विधायी निकायों से आए हुए पीठासीन अधिकारियों ने अपने-अपने सुविचारित मत इस विषय पर रखे और सम्मेलन को एक नया आयाम दिया। इस बात पर सहमति हुई कि सभी सदस्यों को शून्य काल में अविलम्बनीय लोक महत्व की बात को रखने का अवसर अधिकाधिक मिले ताकि विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए।

पीठासीन अधिकारियों ने सदस्यों के सभा की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान करने एवं गर्भगृह में आ जाने पर चिंता जताई। हम सभी ने यह संकल्प लिया है कि सभी विधान सभा, विधान परिषद्, लोक सभा एवं राज्य सभा अपने सदनों के लिए कठोर नियम बनाएंगे जिससे सदन का कामकाज सुचारू रूप से चले।

यहां हुई दो दिवसीय बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्यों न सभी विधायी निकायों में विधायी साधनों जैसे नियम 377, नियम 193, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा, नियम 184 इत्यादि को एक समान कर दिया जाए। इससे सभी विधायी संस्थाओं में एकरूपता आएगी। इसके लिए मेरा विचार है कि पीठासीन अधिकारियों की एक समिति का गठन कर दिया जाए ताकि इस कार्य का निष्पादन अधिक सामंजस्य और सहयोग से हो सके।

सभा में सभी की यह सहमति हुई है कि भारत में विधायी निकायों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित योजना का परिचालन एवं क्रियान्वयन लोक सभा के तत्वावधान में होगा।

जनप्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण बहुत ही जरूरी है क्योंकि वे लोकतंत्रों को सुदृढ़ बनाने और वर्तमान विभिन्न चुनौतियों का उपयुक्त रूप से समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते रहना चाहिए।

मेरी राय में, हम सांसदों और विधायकों की प्रतिनिधि वाली भूमिका को ध्यान में रखते हुए उनके क्षमता निर्माण तथा विधानमंडलों के निर्बाध कामकाज के लिए ऐसी संसदीय प्रक्रियाओं और साधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं।

हमने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2020 से तीन वर्षों के लिए हम अपनी विधायिकाओं में संसदीय लोकतंत्र एवं शोध प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) के अधिकारियों को उनके यहां भेज उनकी आवश्यकता अनुसार प्रबोधन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।

एक और सुझाव इस सम्मेलन में आया है कि उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार की तर्ज पर एक वार्षिक उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्रदान किया जाए। मैं समझता हूं कि यह अच्छा प्रस्ताव है और इससे सभी विधायकों को अपने कार्य और आचरण को उत्कृष्ट रखने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। इससे निश्चय ही विधान सभा के कार्यकरण में गुणात्मक परिवर्तन होगा।

यह बात भी हुई कि राज्य विधान मंडलों की बैठकों की संख्या में वृद्धि हो।

सभा का यह भी मत था कि मीडिया को सदन में हुई सकारात्मक चर्चा को महत्ता देते हुए कवर करना चाहिए।

सम्मेलन में हमने जिस दूसरे विषय पर चर्चा की वह था - ''संविधान की दसवीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका।'' हमने इस विषय पर चर्चा इसलिए की क्योंकि दल परिवर्तन की समस्या के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास में कमी आई है और इसके कारण चुनाव प्रणाली के तहत बार-बार अनावश्यक चुनाव कराने पड़ रहे है जिससे अनिवार्य रूप से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है।

दल परिवर्तन से लोकतंत्र के आधार और इसके सिद्धांतों पर ही कुठाराघात होता है।

इस संबंध में पीठासीन अधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जा रही टिप्पणी एक गंभीर चिंता का विषय है। इस सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा एवं विचार-विमर्श हुआ। सभी पीठासीन अधिकारी इस बात पर सहमत थे कि न्यायिक अधिकारियों को पीठासीन अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय पर कुछ कहने के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अध्यक्ष पद की मर्यादा एवं प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रहे। दल परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेते समय पीठासीन अधिकारियों को भी अपनी अध्यक्षीय मर्यादा का पालन करना चाहिए।

मित्रो, भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से हमें अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने का मंच मिलता है। विचारों के इस आदान-प्रदान से हम एक-दूसरे से सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं।

अभी हमने हाल ही में लोक सभा के 40 लाख प्रलेखों और दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन कर दिया है और यह कार्य अभी भी चल रहा है। इस संदर्भ में मेरा कहना है कि चूंकि देश की विधायिकाओं के पास अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दस्तावेज एवं प्रलेख हैं, जिनका समय से संरक्षण बहुत जरूरी है। इस मुहिम में आवश्यक हो तो आप लोक सभा सचिवालय के अनुभव से लाभ उठा सकते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जैसा कि पीठासीन अधिकारियों की दिल्ली में हुई बैठक के दौरान 28 अगस्त 2019 को तीन समितियों; विधान मंडलों के कार्यकरण में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का मूल्यांकन करने तथा सुझाव देने हेतु समिति, सभा के सुचारु कार्यकरण संबंधी मामले पर विचार करने संबंधी समिति, और विधान मंडल सचिवालयों की वित्तीय स्वायत्तता के मामले की जांच हेतु समिति, का गठन किया गया था। मुझे विश्वास है कि लखनऊ में होने वाली बैठक से पहले राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में इन समितियों की सिफारिशें प्रस्तुत करने के प्रयास किए जाएंगे।

आज यहां हुई चर्चा में बहुत से पीठासीन अधिकारियों ने विधायी निकायों की वित्तीय स्वायत्तता पर जोर दिया। इस मामले में मैं कहना चाहता हूँ कि इस संबंध में समिति की रिपोर्ट आने के बाद हम आपस में विचार - विमर्श करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

इस सम्मेलन के वर्ष 2021 में सौ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में भारतीय संसद एवं देश की विधान सभाओं में वर्ष 2020-21 तक पूरे वर्ष भव्य समारोह आयोजित किए जाने की योजना है। इसे शताब्दी समारोह को किस प्रकार भव्यता से मनाया जाए, इस संबंध में हमने सभी पीठासीन अधिकारियों से राय मांगी है।

मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों, विशेषकर उत्तराखंड विधान सभा के अध्यक्ष तथा विधानमंडल के सचिवालय के सचिव और उनकी टीम को इस सम्मेलन को सफल बनाने में उनके सहयोग के लिए और बढ़िया प्रबंध करने तथा हम सबका शानदार आवभगत करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी एवं उत्तराखंड सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस सम्मेलन के आयोजन में सार्थक एवं रचनात्मक सहयोग दिया। मैं यहाँ मौजूद उन सभी प्रतिनिधियों का भी धन्यवाद करता हूँ जिनके द्वारा इस विचार-विमर्श में की गई सार्थक भागीदारी से इस सम्मेलन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत मदद मिली।

मैं इस अवसर पर इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए लोक सभा और राज्य सभा के महासचिवों और उनके अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टीम द्वारा किए गए अथक प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ।